फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 48/2017 अनवान धूलकंवर बनाम नाथूसिंह वगैरा
अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1, 2 सी.पी.सी.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
27.11.2017	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीनी श्री जितेश भंडारी उपस्थित। वकील अप्रार्थी संख्या–02 श्री भरत जे राठौड व श्री अजमत अली उपस्थित। दोनो पक्षो की दलीलो को सुनने के पश्चात् प्रश्नगत् प्रकरण में जाहिर हैं कि अधिवक्ता प्रार्थीनी श्री जितेश भंडारी द्वारा दलील दी जा रही हैं कि ग्राम भीटवाडा के खसरा नंबर 811, 812, 824, 825, 842, 870, 871 कुल खसरा–07 कुल क्षैत्रफल 0.57 हैक्टर में प्रार्थीनी के स्व0 पिता सादुलसिंहजी का 1/5 हिस्सा हैं, प्रार्थीनी के पिता सादुलसिंहजी का देहांत दिनांक 30.6.1995 को हो गया। पिता की मृत्यु के बाद अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 ने 1/5 हिंस्सा में अपना नाम दर्ज करवा दिया। जबकि प्रार्थीनी का बतौर पुत्री 1/15 हिस्सा वादग्रस्त भूमि में निहित हैं। प्रार्थीनी अपने पिता से प्राप्त अपने 1/15 वां हिस्सा पर काबिज होकर काश्त कर रही हैं। परन्तु अप्रार्थीगण ने प्रार्थीनी को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने की धमकी दी हैं। जिससे प्रार्थीनी द्वारा वादग्रस्त भूमि भीटवाडा के खसरा नंबर नंबर 811, 812, 824, 825, 842, 870, 871 कुल खसरा–07 कुल क्षैत्रफल 0.57 हैक्टर के 1/15 वां हिस्सा की घोषणा खातेदारी का वाद प्रस्तुत किया हैं। जिसके निस्तारण में समय लगेगा एवं इस बीच यदि अप्रार्थीगण प्रार्थीनी को अपने पुश्तैनी हिस्से की भूमि से बेदखल कर देते हैं तो प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत वाद व उक्त प्रार्थना पत्र का मकसद ही समाप्त हो जावेगा। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने की दलील दी। इसके विपरित अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या–02 श्री भरत जे. राठौड द्वारा प्रार्थीनी अधिवक्ता की दलीलो का खण्डन करते हुये दलील दी जा रही हैं कि स्व0 सादुलसिंह जी की तमाम चल/अचल सम्पतियो के संबध में एक सिविल वाद चला था। जिस सिविल वाद में प्रार्थीनी धूलकंवर ने शपथ पत्र में यह स्वीकार किया था कि चल सम्पतियो में सोना एक तोला, चांदी करीब एक किलो उसके पिता ने उसकी माता के स्वर्गवास के पश्चात् उसे सौप दिया था। इसके साथ ही वकील अप्रार्थी ने यह भी दलील दी कि अप्रार्थीगण दोनो भाईयो के मध्य एक आपसी लिखत हुआ था। जिस लिखत पर प्रार्थीया के पति हिम्मतसिंह ने हस्ताक्षर किये थे। अंत में यह दलील दी कि प्रार्थीया स्वयं के द्वारा इसी भूमि के संबध में एक राजस्व अपील संख्या 2/09 प्रस्तुत की थी। जो अपील भी इसी न्यायालय द्वारा खारिज की जा चुकी हैं। जिससे प्रार्थीया पुनः किसी प्रकार का वाद एवं उक्त प्रार्थना पत्र नहीं ला सकती । जिससे प्रार्थना पत्र प्रार्थीया चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। दोनो पक्षो की दलीलो को सुनने के पश्चात् यह प्रमाणित हैं कि सिविल वाद अन्य पुश्तैनी भूमियों के बारे में था न कि उक्त राजस्व भूमि के संबध में जिससे उस वाद में प्रस्तुत शपथ पत्र का उक्त प्रार्थना पत्र के साथ कोई सरोकार नहीं हैं। इसके साथ ही तखतसिंह व नाथुसिंह दोनो भाईयो के मध्य हुये लिखत पर प्रार्थीनी के हस्ताक्षर नहीं होकर उसके पति हिम्मतसिंह के हस्ताक्षर हैं। जिससे पति द्वारा किये गये हस्ताक्षर के संबध में प्रार्थीनी बाध्यकारी नहीं हैं। इसके साथ ही प्रार्थीया द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबध में	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	प्रस्तुत नामांतकरण अपील संख्या 2/09 अनवान धूलकंवर बनाम नाथुसिंह वगैरा अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 में दिनांक 16.02.2009 को पारित आदेशिका के अवलोकन से यह जाहिर हैं कि उक्त अपील को प्रार्थीनी द्वारा पुनः अपील प्रस्तुत करने का अधिकार सुरक्षित रखते हुये जरिये विड्रोवल प्रार्थना पत्र तथाकथित अपील को विड्रो करने से खारिज की थी। न कि उक्त अपील मेरिट पर निर्णित हुई थी। जिससे प्रार्थीनी का पुनः वाद लाने व उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुती का अधिकार समाप्त नहीं हो जाता। प्रकरण में यह तो स्पष्ट तौर पर प्रमाणित हैं कि भूमि पुश्तैनी भूमि हैं, जिसमें विधि अनुसार प्रार्थीया का 1/15 वां हिस्सा पुश्तैनी भूमि में बनता हैं। जिस हेतु प्रार्थीया द्वारा घोषणा खातेदारी का वाद प्रस्तुत कर रखा हैं, जिसके निस्तारण में समय लगेगा। इस दौरान् यदि रेकर्ड में दर्ज वर्तमान हिस्सा अनुसार अप्रार्थी भूमि का बेचान कर देते हैं तथा प्रार्थीया को मौके से बेदखल कर देते हैं तो प्रार्थीया को भारी परेशानी तथा आर्थिक कठिनाई होगी। अतः: बाद अवलोकन पत्रावली व सुनने वकुलाय वादग्रस्त भूमि ग्राम भीटवाडा के खसरा नंबर नंबर 811, 812, 824, 825, 842, 870, 871 कुल खसरा–07 कुल क्षैत्रफल 0. 57 हैक्टर में निहित प्रार्थीनी के 1/15 वां हिस्सा में अप्रार्थीगण दखलन्दाजी नहीं करे तथा न ही भूमि का बेचान/ हस्तान्तरण किसी अन्य को करावे। इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के तहत बहक प्रार्थीनी विरूद्व अप्रार्थीगण मूल राजस्व वाद के निर्णय तक जारी की जाती हैं। मिसल फैसल शुमार होकर मूल राजस्व वाद संख्या 39/2017 के संलग्न हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी, बाली उप - खण्ड अधिकारी, बाली

Scanned by CamScanner